नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर स्थित स्थित विटेनेश शेड के सामने एक अदद शीशम का पेड गिर गया है, एवं न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–1, के पीछे एक अदद अमलतास व न्यायालय पाक्सो एक्ट, कोर्ट के सामने लॉन में एक अदद शहतूत का पेड झुक कर मुख्य भवन की बिल्डिंग में रख गयें है, तथा पानी की टंकी के बगल में एक अदद गूलर का पेड बिल्डिंग की तरफ झुक गया है। उक्त सभी पेड जरा सी आंधी तूफान या बारिश से बिल्डंग में गिर सकते है, जिससे शासकीय सम्पत्ति के क्षति होने की सम्भावना है, की वित्तीय समिति की देखरेख में दिनांक 08.02.2024 दिन ब्रहस्पतिवार को समय 02.00 बजे अपरान्ह से न्यायालय परिसर में नीलामी कराई जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित सूचना– ecourts.gov.in/fatehpur से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी हेतु पेड़ों का विवरण निम्न है:–

क.सं	प्रजाति	गोलाई मी0 में	व्यास श्रेणी	दशा	मूल्यांकन धनराशि
1	शीशम	1.08	30–40	गिरा पडा, अयोग्य	2810/-
2	अमलतास	0.9	20–30	हरा खडा अयोग्य	220/-
3	शहतूत	1.25	30–40	हरा खडा अयोग्य	436/-
4	गूलर	1.15	30–40	हरा खडा अयोग्य	436/-
				योग:–	3902/–

नीलामी शर्तें

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर द्वारा उपरोक्त वर्णित वृक्ष का मूल्यांकन ही प्रथम बोली होगी तथा अधिकतम बोली जनपद न्यायाधीश, द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर स्वीकृत की जायेगी। नीलामी में सम्मिलित बोली बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रू0 1000.00 बोली बोलने से पहले काशन मनी के रूप में जमा करनी होगी। नीलामी की स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि बोलीदार द्वारा तुरन्त जमा की जायेगी। उ0प्र0 वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त समस्त वृक्षों के कटान के लिये पातन अनुज्ञा शुल्क रू0 100 प्रति वृक्ष दिया जाना आवश्यक है। बोलीदार द्वारा उक्त वर्णित वृक्ष के प्रकाष्ठ के अभिवहन के लिये प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के कार्यालय से अभिवहन पास लेना अनिवार्य होगा।

27/01/2024
अध्यक्ष,
वित्तीय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।

नोटिस की प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार हेतु प्रेषित हों।

1– जिला सूचनाधिकारी, फतेहपुर।
2– नाजिर कलेक्ट्रेट, फतेहपुर।
3– नाजिर विकास भवन, फतेहपुर।
4– नाजिर सदर तहसील, फतेहपुर।
5– सम्पादक कर्मयुग प्रकाश निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
6– सम्पादक न्यूज वाणी निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7– सम्पादक कानपुर उजाला निःशुल्क प्रकाशन हेतु
8– सम्पादक दोआबा वार्ता निःशुल्क प्रकाशन हेतु
9– प्रभारी अधिकारी, अमीन, फतेहपुर।
10– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फतेहपुर।
11– शहर में स्थित लकडियों का कार्य करने वाले ठेकेदार।
12– सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा हेतु।
13– कम्प्यूटर अनुभाग, इण्टरनेट पर विज्ञप्ति हेतु, फतेहपुर।

27/01/2024
अध्यक्ष,
वित्तीय समिति/